<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

अपील डिक्री/टी0ए0/2520/2006/भरतपुर

1. दर्राव पुत्र ईसब खां मृतक जरिये वारिसान

1/1 सकरवी पत्नि दर्राव जाति मेव निवासी जखोकर तहसील पुन्हाना जिला गुडगांव (हरियाणा)।

1/2 जसीरा पुत्री दर्राव पत्नि साहून जाति मेव

1/3 इरफाना पुत्री दर्राव पत्नि तारिक जाति मेव
निवासीगण घुडावली तहसील पुन्हाना जिला नोह।

1/4 निजर मौ0 पुत्रदर्राव जाति मेव निवासी जखोकर तहसील पुन्हाना जिला गुडगांव (हरियाणा)।

अपीलांट/प्रतिवादी....

बनाम

1. श्रीमती बसीरी पुत्री ईसब पत्नि जाललुद्दीन जाति मेव निवासी मुवारिकपुर (रावल की) तहसील पुन्हाना जिला गुडगावं।

रेस्पो0/वादीया...

2. श्रीमती नसीरी उर्फ नसरी पुत्री ईसब पत्नि उमर मोहम्मद जाति मेव निवासी सीकरी तहसील नगर जिला भरतपुर।

3. राजस्थान सरकार ।

रेस्पो0....

<u>खण्डपीठ</u>
डा0 शिव प्रसाद सिंह, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितिः–
श्री शांति प्रकाश औझा, अभिभाषक अपीलांट
श्री विरेन्द्र सिंह राठौड, अभिभाषक रेस्पो0।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 16.02.2026

<u>1–</u> यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–02–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो01/वादीया द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, कामां के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपील मीमों में अंकित विवादित आराजी वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पैतृक सम्पत्ति है। वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 परस्पर भाई–बहिन हैं, विवादित आराजी में सभी का बराबर–बराबर हिस्सा है। पक्षकारान के पिता ईसब खां की मृत्यु उपरांत उत्तराधिकार का नामांतरकरण प्रतिवादी संख्या 1 दर्राव के नाम स्वीकृत किया गया है। उक्त नामांतरकरण को निरस्त किया जाकर वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 नसीरी उर्फ नसरी का नाम भी जोड़ा जावे तथा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर भूमि का पृथक–पृथक विभाजन किये जाने के साथ तीनों का 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज किया जावे। वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 दर्राव के उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये विचारण न्यायालय ने दिनांक 15.09. 2004 को भूमि पैतृक होने के कारण पक्षकारान को सहखातेदार घोषित करते हुये तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाने बाबत प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी। तत्पश्चात विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 17.03.2005 को अंतिम डिक्री पारित कर दी। विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 15.09. 2004 व अंतिम डिक्री दिनांक 17.03.2005 के विरूद्ध अपीलांट ने अपीलीय न्यायाल राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2006 से स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री को अपास्त करते हुये अपने स्तर पर पक्षकारान के हिस्से घोषित कर नये सिरे से प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गयी। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील पर सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुये तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम व विधिक तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट/प्रतिवादी दर्राव को विधिवतरूप से सम्मन तामील नहीं करवाये तथा अपीलांट/प्रतिवादी को सुनवाई तथा जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना दिनांक 15.09.2004 को प्रारम्भिक डिक्री जारी करते हुये वादीया को खातेदार घोषित कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने के आदेश पारित कर दिये। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात

दिनांक 17.03.2005 को अंतिम डिक्री पारित कर दी गयी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्तनीय थी। अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक व अंतिम डिक्री को अपास्त तो कर दिया परन्तु उन्होनें क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपने निर्णय से पक्षकारों के विवादित भूमि में हिस्से घोषित करते हुये प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय यह तो स्वीकार किया है कि अपीलांट को विधिवत नोटिस तामील नहीं हुआ क्योंकि तामील कुनिन्दा ने नोटिस की पुश्त पर लिखा है कि दर्राव बीमार था उसने नोटिस लेने से इंकार किया तथा नोटिस सरेआम स्कूल पर चस्पा किया गया। नोटिस पर सरपंच की सील व हस्ताक्षर हैं। परन्तु सरपंच ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये उक्त कथनों से इंकार किया है। प्रतिवादी द्वारा नोटिस नहीं लिये जाने पर नोटिस की प्रति उसके रहवास मकान पर चस्पादंगी दो गवाहों की मौजूदगी में करनी चाहिए थी। अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस तामील नहीं होना मान लिया तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रारम्भिक डिक्री जारी करने का अधिकार नहीं था बल्कि प्रकरण आदेश 20 नियम 4(2) व आदेश 20 नियम 5 सी0पी0सी0 की पालना हेतु प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना चाहिए था, परन्तु अपीलीय न्यायालय ने ऐसा ना प्रकरण में अपने स्तर पर ही प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त करने का निवेदन किया।

5– प्रतिउत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की पैतृक सम्पत्ति है, जिसमें सभी का बराबर हिस्सा है। पक्षकारान के पिता ईसब खां की मृत्यु उपरांत उत्तराधिकार का नामांतरकरण अपीलांट दर्राव के नाम स्वीकृत किया गया जबकि उत्तराधिकारी के तौर पर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का भी विवादित आराजी में हक व हिस्सा है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय से सभी पक्षकारों का बराबर–बराबर हिस्सा निर्धारित करते हुये विधिसम्मत डिक्री पारित की थी। अपीलीय न्यायालय ने भी यह माना है कि विवादित आराजी में रेस्पो0 1 व 2 का हक व हिस्सा निहीत है और उन्होंने मुस्लिम विधि अनुसार उनके पिता ईसब की सम्पत्ति में पुत्र दर्राव का 2/3 हिस्सा एवं दोनों पुत्रियों का 1/3 हिस्सा निर्धारित किया है। उनका आगे तर्क है कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट दर्राव को सम्मन हेतु नोटिस जारी किये थे जिसे तामील कुनिन्दा द्वारा तामील हेतु निवास पर पहुॅचने पर उसने बीमार होने के बहाना बनाकर नोटिस लेने से इंकार

कर दिया। इस पर तामील कुनिन्दा ने नोटिस की एक प्रति गांव के सरपंच की उपस्थिति में स्कूल पर चस्पा कर दी। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट को प्रकरण के संबंध में पूर्ण जानकारी होने के उपरांत भी वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए अपीलांट यह कथन उचित नहीं है कि उसे नोटिस तामील नहीं कराया गया एंव साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। उनका कथन है कि अपीलांट ने प्रारिम्भक डिक्री दिनांक 15.09.2004 व अंतिम डिक्री दिनांक 17.03.2005 के विरूद्व अपीलीय न्यायालय के समक्ष एक ही अपील प्रस्तुत की है जबकि उसे प्रारिम्भक डिक्री व अंतिम डिक्री के लिए दो अलग–अलग अपीलें प्रस्तुत करनी चाहिए थी। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व निर्णयों का सम्मान अवलोकन किया किया।

7– पत्रावली का विवेचन व विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि रस्पो0 संख्या 1/वादीया द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी के संबंध में दावा प्रस्तुत किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर करते हुये अपीलांट/प्रतिवादी को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये। नोटिस जारी किये जाने पर तामील कुनिन्दा को नोटिस तामील हेतु आदेशित किया गया। तामील कुनिन्दा ने नोटिस की पुश्त पर अंकित किया कि वह नोटिस तामील कराने हेतु अपीलांट /प्रतिवादी संख्या 1 के घर गया जहां अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 दर्राव घर पर हाजिर मिला व उसने बीमारी का बहाना बनाते हुये सम्मन प्रति लेने इंकार किया जिस पर तामील कुनिंदा ने एक प्रति सम्मन सरेआम स्कूल पर चस्पा की। विचारण न्यायालय ने तामील कुनिन्दा की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 दर्राव की तामील मानते हुये दावे में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये प्रारम्भिक डिक्री एवं तत्पश्चात अंतिम डिक्री पारित कर दी। इस संबंध में यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 दर्राव द्वारा सम्मन लेने से इंकारी पर तामील मानते हुये एकपक्षीय कार्यवाही की है। सम्मन व तामील रिपोर्ट अनुसार पक्षकार द्वारा समन लेने से इंकारी पर इसे सरेआम स्कूल पर चस्पा किया गया है, जबकि यह सर्वमान्य विधि है कि सम्मन लेने से इंकारी पर पक्षकार के रहवास निवास पर इसे चस्पा किया जाना चाहिए। साथ ही सम्मन लेने से इंकारी पर न्यायालय आदेश से चस्पांदगी का प्रावधान है लेकिन इसकी हस्तगत प्रकरण में पालना नहीं हुई है। सम्मन को ग्राम पंचायत सरपंच की मौजूगदी में चस्पा किया जाना बताया गया है जबकि सरपंच द्वारा मातहत अपीलीय न्यायालय में शपथ पत्र देकर इससे इंकार किया है। इस वस्तुस्थिति में अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 दर्राव की विधिवत

तामील होना नहीं माना जा सकता तथा सम्मन तामीली में विधि के आवश्यक प्रावधानों की पालना न होने से अपीलार्थी/प्रतिवादी दर्राव को दावे में पक्ष रखने का अवसर न मिलना स्पष्ट है, जिसके कारण विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्त प्रारम्भिक एवं अंतिम डिक्री दोनों आदेश स्थापित रखने योग्य नहीं हैं।

मातहत अपीलीय न्यायालय के द्वारा भी अपीलांट के सम्मन विधिवत तामील न होना तथा उसे सुनवाई का अवसर न मिलना माना गया है। इस तथ्यगत स्थिति में उन्हें प्रकरण को पुनः रिमांड कर विचारण न्यायालय को अपीलांट को सुनवाई का अवसर देकर बाद साक्ष्य सुनवाई प्रकरण पर पुर्नविचारण पश्चात निर्णय करने का निर्देश दिया जाना चाहिए था। लेकिन उनके द्वारा विचारण न्यायालय का प्रारम्भिक व अंतिम डिक्री आदेश अपास्त करते हुये अपने स्तर पर ही पक्षकारों के विवादित भूमि में हिस्से घोषित करते हुये प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है। अतः अपीलीय न्यायालय का आदेश विधिमान्य प्रावधानों की अवहेलना करते हुये प्रदत्त होने से हमारी सुविचारित राय में आलौच्य आदेश त्रुटिपूर्ण होकर विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्णय क्षेत्राधिकार का उचित एवं विधिसम्मत निर्वहन न करते हुये जारी होने के कारण यह स्थापित रखने योग्य नहीं है। अतः हामरे सुविचारित मत अनुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होकर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषण योग्य है।

8– परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2006 तथा विचारण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.09.2004 व दिनांक 17.03.2005 अपास्त किये जाते है। प्रकरण विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कामां जिला भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर देकर बाद उभयपक्ष की साक्ष्य सुनवाई पश्चात प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

9– निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। उभयपपक्ष विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कामां जिला भरतपुर के समक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 18.03.2026 को उपस्थिति होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(डा0शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य